नोटः—(i) प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

(ii) विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट—बढ़ सकती है।

(iii) अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है।

4. विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत् होंगी :—

(i) भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।

(ii) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा समय—समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो सम्प्रति निम्नवत् है:—

(A) विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि (कक्षा 1—5) के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)

अथवा

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2002, के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा

अथवा

स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो;

अथवा

50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी०एड०);

अथवा

न्यूनतम 55% अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०—एम०एड०।

परन्तुक—

(i) जिसने एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा—स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उसे कक्षा 1—5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा, किन्तु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रुप में नियुक्त होने के दो साल के भीतर एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रुप से पूरा करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

(ii) जिसने भी एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से तीन वर्षीय एकीकृत बी०एड०—एम०एड० की योग्यता हासिल कर ली है, उसे कक्षा 1—5 तक पढ़ाने हेतु विद्यालय अध्यापक के रुप में नियुक्त किया जा सकेगा; बशर्त्ते कि विद्यालय अध्यापक के रुप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के रुप में नियुक्ति के 02 साल के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में अनिवार्य रुप से 06 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 06 महीने का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा।

(iii) वर्ग 1—5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी/आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इन्टरमीडिएट (50% अंकों के साथ) अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी।

(iv) वर्ग 1—5 के लिए बांग्ला शिक्षकों के पदों पर इण्टर में 50% अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता मान्य होगी।

(v) समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्राच्यभाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विषय विद्यालय अध्यापक (वर्ग 1—5) पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित

स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि/डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा।

(vi) कक्षा 1 से 5 तक लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(B) सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता :

विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में कम से कम 50 प्रतिशत अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक/स्नातकोत्तर तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से विनिर्दिष्ट विषय/विषय समूह में बी०ए०एड०/बी०एससी०एड० की चार वर्षीय उपाधि।

परन्तुक–

कक्षा 09 से 10 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(C) कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा :

(i) **<u>गणित</u>** :– स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी/इलेक्ट्रोनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/ रसायन विज्ञान/सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो।

(ii) **<u>विज्ञान</u>** :– स्नातक स्तर पर जन्तु विज्ञान (प्राणि विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं रसायनशास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो।

(iii) **<u>सामाजिक विज्ञान</u>** :– स्नातक स्तर पर सहायक विषय/प्रतिष्ठा विषय के अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में से किसी दो विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो।

(iv) **<u>भाषा से संबंधित विषय</u>** :– माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में संबंधित भाषा विषय के रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना अनिवार्य है।

(D) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता:

विनिर्दिष्ट विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 45 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर(अथवा इसके समतुल्य) तथा 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय-सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 तथा 10.12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम-2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी०एड०)।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से बी०ए०एड०/बी०एससी०एड०।

रोजगार बिहार
Web: RojgarBihar.Com

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में स्नातकोत्तर तथा 03 वर्षीय एकीकृत बी०एड०– एम०एड०।

परन्तुक–

कक्षा 11 से 12 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(E) कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत् होगा :

Posts (Subject)	Subjects at Post Graduate Level
Physics	Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics
Chemistry	Chemistry/Biochemistry
Economics	Economics/Applied Economics/Business Economics
Commerce	Master's Degree in commerce. However, holder of Degree of M.Com in applied/Business Economics shall not be eligible.
Biology	Botany/Zoology/Life Science/Bio Science/Genetics/Micro Biology/ Biotechnology/Molecular Biology/Plant Physiology provided they have studies Botany and Zoology at graduation.
Math	Mathemetics/Applied Mathemetics

(F) कक्षा 11 से 12 तक में कम्प्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता :

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से प्राप्त उपाधि। डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'ए' एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0ई0 या बी०टेक० (कम्प्यूटर साइंस/आई0टी0) अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या ए०आइ०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी०ई० या बी०टेक० की उपाधि तथा कम्प्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईस में स्नातकोत्तर/एम०सी०ए० या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईस में स्नातक/बी०सी०ए० या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साईस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'बी' एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि।

अथवा

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डी०ओ०इ०ए०सी०सी० से स्तर 'सी' तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

अथवा

एम०सी०ए० का तीन वर्षीय कोर्स (6 सेमेस्टर)।

परन्तुक–

(i) कक्षा 11 से 12 तक के लिए कम्प्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थी को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

(ii) **कम्प्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बी0एड0 की योग्यता अनिवार्य नहीं है।**

(G) संगीत विषय के लिए कक्षा 11–12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता:–

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर–उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता। मान्यता प्राप्त संस्था के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासी विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

(H) कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय/विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में :

वाणिज्य संकाय में तीन विषय क्रमशः EPS (उद्यमिता), Accountancy (लेखाशास्त्र) एवं Business Study (बिजनेश स्टडी) में नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु वाणिज्य (Commerce) में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उक्त तीन विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। परन्तु EPS (उद्यमिता) अथवा Accountancy (लेखा) अथवा Business Study (बिजनेश स्टडी) विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में ही नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

(I) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध :-

(i) केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(ii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधिनियम से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iii) NCTE अधिनियम, 1993 के प्रवृत होने के पूर्व केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा NCTE अधिनियम के प्रवृत होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा वैसे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश जहां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(J) स्नातकोत्तर के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण -मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू/फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य एवं कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी।

(K) स्नातक के समतुल्य अर्हता से संबंधित स्पष्टीकरण -मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की उपाधि उर्दू/फारसी/अरबी विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा प्रदत्त शास्त्री की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातक के समतुल्य मानी जाएगी।

(L) राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा यथा-

(i) प्राथमिक शिक्षक के लिए CTET Paper-I अथवा BTET Paper-I,

(ii) माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET Paper-I एव

(iii) उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए STET Paper-II में उत्तीर्ण हों।

परन्तुक-

वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे, के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी।

(M) नोटः-

शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हों, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हों एवं शिक्षक प्रशिक्षण पूरा कर लिये हों तथा शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, वे भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते शिक्षक प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन दिनांक-31.08.2023 तक पूर्ण हो जाय।

उन्हें ऐसी परीक्षा में 31.08.2023 तक भाग लेने का प्रमाण यथा एडमिट कार्ड एवं परीक्षाफल सहित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की मूल प्रति आयोग के द्वारा सत्यापन हेतु मांगे जाने पर ससमय उपलब्ध कराना होगा और सत्यापनोपरान्त उनकी प्रशैक्षणिक अर्हता मान्य होगी। आवेदन के समय उन्हें इस आशय का स्व-घोषणा (Self-declaration) भी देना होगा।

एतद्संबंधी सभी प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के समय पूर्व से ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्व-घोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा और ऐसे अभ्यर्थी को ऐसे प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा और उसकी छायाप्रति भी देनी होगी।

उदाहरणः-

- वर्ग 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों एवं CTET-Paper-1 में उत्तीर्ण हों परन्तु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हों, भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन दिनांक-31.08.2023 तक पूर्ण हो जाय।

रोजगार बिहार
Web: RojgarBihar.Com